

प्रेस नोट:- 18-09-2020

थाना किरतपुर, नांगल व नजीबाबाद पुलिस द्वारा की गयी संयुक्त कार्यवाही में 06 शातिर गौकशी करने वाले अभियुक्तगण 12 जीवित गाय/भैस, अवैध शस्त्र, गौकशी के औजारो व गौवंशीय अवशेष सहित गिरफ्तार ।

मु0अ0सं0- 300/20

धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम

बनाम 10 अभियुक्तगण

गिरफ्तारी दिनाँक:- 18-09-2020 समय:- 03.30 बजे घटना स्थल:- चेयरमैन मन्नान का घर/बाग

थाना किरतपुर बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

- 1) मो0 हारुन पुत्र मौ0 तहसीन निवासी लुकमानपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 2) तारिक पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 मीठा शहीद कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 3) ताजिर पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 मीठा शहीद कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 4) तालिब पुत्र अतीक निवासी मौ0 मीठा शहीद कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 5) मौ0 आमिर पुत्र मौ0 यूनुस निवासी मौ0 लुकमानपुरा कस्बा व थाना किरतपुर बिजनौर ।
- 6) मौ0 शानू पुत्र मौ0 अय्यूब निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद बिजनौर ।



फरार अभियुक्तगण का विवरण

- 1) अब्दुल मन्नान पुत्र अब्दुल रिजवान निवासी मौ० राधगान थाना किरतपुर बिजनौर
- 2) अतीक कुरैशी पुत्र मौ० रफीक निवासी मौ० मीठा शहीद थाना किरतपुर बिजनौर
- 3) बाशिद पुत्र बुंदू कुरैशी निवासी ग्राम लाडपुरा थाना किरतपुर बिजनौर
- 4) फरीद पुत्र रफीक निवासी मौ० मीठा शहीद थाना किरतपुर बिजनौर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

- 1- 01 तमंचा 12 बोर (पौनिया) व 02 जिन्दा कारतूस
- 2- 04 गाय, 03 भैस, 04 कटरे, 01 बछडा (कुल-12 जानवर जीवित)
- 3- 04 जबडे गौवंशीय
- 4- 06 सींग गाय/भैस
- 5- 01 बोरा गौवंशीय हड्डियां/अवषेश
- 6- 03 चापर
- 7- 02 रस्सी
- 8- 02 छूरी
- 9- लकडी का गुटका
- 10- गौवंशीय अवशेष

पंजीकृत अभियोगो का विवरण

मु०अ०सं० 300/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम बनाम 10 नफर अभियुक्त उपरोक्त ।

मु०अ०सं० 301/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम तालिब

घटना का संक्षिप्त विवरण

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद में गौकशी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना किरतपुर, थाना नांगल व थाना नजीबाबाद पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त/चैकिंग व गौकशी की रोकथाम में मामूर थी तो मुखबिर की सूचना पर 06 अभियुक्तगण 1- मौ० हारुन 2- मौ० तारिक 3- मौ० ताजिर 4- मौ० तालिब 5- मौ० आमिर 6- मौ० शानू को चेयरमैन मन्नान के बाग से प्रातः 03.30 बजे 12 गाय/भैस जीवित, 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस व गौकशी करने के औजारों सहित गिरफ्तार किया गया । थाना किरतपुर क्षेत्र में काफी समय से उच्चाधिकारीगण को पशुओ का अवैध कटान की शिकायत प्राप्त हो रही थी । इसी क्रम में थाना किरतपुर, नांगल, नजीबाबाद की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये 06 अभियुक्तगण को गौकशी का प्रयास करते तथा गौवंशीय अवशेषो के साथ अवैध असलाह, कारतूस व गौकशी के औजारो के साथ गिरफ्तार किया गया है। 04 अभियुक्तगण मौके पर फायदा उठाकर फरार हो गये । जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम व HS खोलने की कार्यवाही की जायेगी ।

आपराधिक इतिहास:-

तालिब पुत्र अतीक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 435/17 धारा 110जी दण्ड प्रक्रिया संहिता ।
- 2- मु0अ0सं0 342/19 धारा 429/269/270 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम

पुलिस टीम का विवरण

- 1- प्रभारी निरीक्षक वली मौहम्मद थाना नांगल
- 2- सुनील कुमार निरीक्षक अपराध थाना नजीबाबाद
- 3- सुशील तोमर व0उ0नि0 थाना किरतपुर
- 4- सुनील कुमार उ0नि0 थाना किरतपुर
- 5- इरशाद अली उ0नि0 थाना किरतपुर
- 6- का0 1498 पंकज थाना किरतपुर
- 7- का0 68 राजेश थाना किरतपुर
- 8- का0 695 नवीन कुमार थाना नजीबाबाद
- 9- का0 802 सोहनवीर थाना नजीबाबाद
- 10- का0 1732 देवेन्द्र थाना नांगल
- 11- का0 1000 अमर नाथ थाना नांगल

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा जिला बदर हारुन को जनपद की सीमा मे पाये जाने के उपरान्त किया गिरफ्तार ।

जनपदीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुये कई अपराधियों को जिला बदर किया गया । इसी क्रम में दिनांक 31.08.2020 से जिला बदर चल रहे अभियुक्त हारुन पुत्र फारुख निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर का जिला बदर होने के बावजूद जनपद की सीमा मे घूमने पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17-09-2020 में समय 19.20 बजे पंचायतघर नजीबाबाद रोड से गिरफ्तार किया गया । जिस के संबंध में थाने पर मु0अ0सं0 250/20 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हारुन पुत्र मौ० फारुख उर्फ आरुख निवासी ग्राम मौ० कुरैशियान ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



अभियुक्त हारुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु०अ०सं० 205/18 धारा 323/324/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात
- 2- मु०अ०स० 65/19 धारा 354/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात
- 3- मु०अ०सं० 250/20 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियन्त्रण अधिनियम थाना कोतवाली देहात

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

उ०नि० नरेन्द्र कुमार
का० खुर्शीद अहमद
का० प्रदीप कुमार

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर, 990 ग्राम चरस तथा 03 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत हल्दौर पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग मुखबिर की सूचना पर गोलबाग तिराहा थाना हल्दौर बिजनौर से अभियुक्तगण 1—गुलफाम पुत्र सगीर अहमद निवासी मौ० इमलीचौक ग्राम खारी थाना हल्दौर जिला बिजनौर, 2—तोहीद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जिला बिजनौर एवं 3—दानिश पुत्र उमर निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जिला बिजनौर को 03 चाकू एवं तीनों अभियुक्तगण से कुल 990 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण चोरी एवं लूट के अभ्यस्थ अपराधी हैं इनके विरुद्ध जनपद एवं अन्य जनपदों में चोरी/लूट/अवैध शस्त्र बरामदगी/गैंगस्टर एक्ट के अनेकों अभियोग पंजीकृत हैं। बअम्भु०अ०स० 262/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, मु०अ०स० 263/20 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०स० 264/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, मु०अ०स० 265/20 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट मु०अ०स० 266/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, मु०अ०स० 267/20 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट पंजीकृत किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

- 1—गुलफाम पुत्र सगीर अहमद निवासी मौ० इमलीचौक ग्राम खारी थाना हल्दौर जिला बिजनौर।
- 2—तोहीद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जिला बिजनौर।
- 3—दानिश पुत्र उमर निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जिला बिजनौर।

बरामदगी:—

- 1...03 चाकू नाजायज।
- 2...कुल 990 ग्राम चरस।

आपराधिक इतिहास

1—गुलफाम पुत्र सगीर अहमद निवासी मौ० इमलीचौक ग्राम खारी थाना हल्दौर जिला बिजनौर।

1. मु०अ०सं० 702/2017 धारा 380 / 411 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर।
2. मु०अ०सं० 707/2017 धारा 380 / 457 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर।
3. मु०अ०सं० 817/2017 धारा 380 / 457 / 411 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर।
4. मु०अ०सं० 836/2017 धारा 307 / 34 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर।
5. मु०अ०सं० 837/2017 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शहर, बिजनौर।
- 6.. मु०अ०सं० 978/2017 धारा 2 / 3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली शहर, बिजनौर।
- 7..मु०अ०सं० 249/2019 धारा 380 / 457411 भादवि थाना चांदपुर, बिजनौर।
- 8..मु०अ०सं० 316/2019 धारा 380 / 457411 भादवि थाना चांदपुर, बिजनौर।
- 9..मु०अ०सं० 388/2019 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना हल्दौर।
- 10.. मु०अ०स० 262/20 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना हल्दौर।
- 11..मु०अ०स० 263/20 धारा 8 / 20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना हल्दौर।

2—तोहीद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जिला बिजनौर।

- 1.. मु०अ०स० 310/19 धारा 457 / 380 / 411 भादवि थाना हल्दौर।
- 2.. मु०अ०स० 501/19 धारा 379 / 411 थाना हल्दौर।
- 3.. मु०अ०स० 510/16 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना हल्दौर।
- 4.. मु०अ०स० 264/20 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना हल्दौर।

5..मु0अ0स0 265/20 धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना हल्दौर ।

3-दानिश पुत्र उमर निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जिला बिजनौर ।

1..मु0अ0स0 213/2019 धारा 342 / 323 / 504 / 506 भादवि थाना हल्दौर ।

2..मु0अ0स0 01/20 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना हल्दौर ।

3..मु0अ0स0 266/20 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना हल्दौर ।

4..मु0अ0स0 267/20 धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना हल्दौर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

1.श्री अजय शर्मा उ0नि0 थाना हल्दौर, बिजनौर ।

2-कान्स0 1655 प्रमोद कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

3-कान्स0 44 अंकित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



थाना किरतपुर:- आज दिनांक 18.09.2020 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि0 1-पप्पू पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम चाहरवाला थाना मण्डावर, 2-सोनू पुत्र भोपाल, 3-भोपाल पुत्र जयराम निवासीगण काजीवाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

